संख्या–156/चौवालिस–2-156/91-92

प्रेषक

डा० विजय कृष्ण सक्सेना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 5 फरवरी, 1992

विषयः– सार्वजनिक उद्यमों/निगमों एवं शासन के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के आपसी विवादों के निराकरण हेतु समिति का गठन।

महोदय,

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन निगमों/उपक्रमों एवं शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समय-समय पर विवाद होते रहते हैं, जिनका प्रतिकूल प्रभाव इनकी उपलब्धियों पर पड़ता है, यह भी देखा गया है कि सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों में आपस में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अधिकांशतः विवाद राजस्व देयों, विद्युत, एक्साइज आदि समस्याओं को लेकर होते हैं।

2. दोनों ही स्थितियों में निगम/उपक्रम अथवा सम्बन्धित विभाग में उत्पन्न होने वाले विवादों के निराकरण हेतु न्यायाधिकरण एवं न्यायालयों का सहारा लिया जाता है। न्यायालयों/न्यायधिकरणों में विवादों के जाने से न केवल वित्तीय हानि होती है, बल्कि विवादों के निस्तारण में काफी विलम्ब होता है। यह शासन एवं उपक्रम दोनों के लिये हानिप्रद है।

3. अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुये राज्यपाल महोदय सांविधिक निगमों से संबंधित अधिनियमों/नियमों तथा कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/उपक्रमों के आर्टिक्ल्स आफ एसोसियेशन से सम्बन्धित आर्टिकल्स तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–41/1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासन के विभिन्न विभागों तथा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के मध्य आपस में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों के निराकरण एवं निस्तारण हेतु निम्न समिति का गठन करते हैं:–

(1)	प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग	...	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	...	सदस्य
(3)	सचिव, उद्योग विभाग	...	सदस्य
(4)	सचिव, न्याय विभाग	...	सदस्य
(5)	सचिव, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग	...	सदस्य

4. राज्यपाल महोदय यह भी निर्देश देते हैं कि विवादों को उक्त समिति को सन्दर्भित किया जाये तथा समिति के अध्यक्ष समिति की बैठक बुलाकर सन्दर्भित होने वाले विवादों के निस्तारित करायेंगे। किसी भी उपक्रम/निगम अथवा शासन के विभाग द्वारा उक्त समिति के अभिनिर्णय के विरुद्ध पुनः किसी सक्षम न्यायालय में विवाद/मामला नहीं ले जाया जायेगा।

5. यदि प्रश्नगत समिति के अभिनिर्णय से कोई निगम/उपक्रम/विभाग सन्तुष्ट न हो, तो निगम/उपक्रम/विभाग शासन स्थित प्रशासकीय विभाग द्वारा यथाप्रक्रिया मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रकरण को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मंत्रि-परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।

6. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें एवं इसका अनुपालन तत्परता एवं कड़ाई से सुनिश्चत कराया जाय।

भवदीय,
[डा० विजय कृष्ण सक्सेना]
मुख्य सचिव।

संख्या–156(1)/44-2-156/91-92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निगमों/उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशकों/मुख्य कार्यकारी (नाम से)
(2) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ को 10 प्रतियों सहित।
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1

आज्ञा से,
[रमेश चन्द्र त्रिपाठी]
प्रमुख सचिव।